भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. *191

सोमवार, 2 अगस्त, 2021/11 श्रावण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

भारत को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए योजनाएं

***191. श्री निहाल चन्द चौहान:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के लिए नियत बजट और उन पर खर्च की गई धनराशि कितनी है;

(ग) देश में विदेशी पर्यटकों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान भारत भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान विदेशियों के साथ दुर्व्यवहार के सूचित मामलों की संख्या कितनी है और उन पर क्या कार्रवाई की गई?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

भारत को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए योजनाओं के संबंध में दिनांक 02.08.2021 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *191 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

(क): पर्यटन हब के रूप में भारत के विकास के लिए सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में लागू पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

1. थीम आधारित पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास- स्वदेश दर्शन
2. तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)
3. पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता
4. आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच)
5. बाजार विकास सहायता (एमडीए) सहित विदेशों में संवर्धन एवं प्रचार की पुन: संरचित योजना
6. आईएचएम/ एफसीआई/ आईआईटीटीएम/ आईसीआई/ एनसीएचएमसीटी/ आईटीआई/ पॉलिटेक्निक संस्थान/विश्वविद्यालयों/सरकारी कॉलेजों/ सरकारी व्यावसायिक स्कूलों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को वित्तीय सहायता
7. सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण
8. चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना
9. बाजार अनुसंधान व्यवसायिक सेवाएं (एमआरपीएस)
10. महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटक गंतव्य

(ख): पिछले 3 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के लिए निर्दिष्ट कुल बजट तथा उन पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा राज्य से संबंधित विषय है। तथापि पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जो निम्नानुसार हैं :

(i) पर्यटकों को सूचना एवं मार्गदर्शन के रूप में सहायता सेवा प्रदान करने के लिए 12 भाषाओं में 24x7 टोल फ्री बहुभाषी पर्यटक इन्फो हेल्पलाइन।

(ii) पर्यटन मंत्रालय ने समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना संबंधी मामला सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के समक्ष उठाया है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती की है।

(iii) पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन हेतु आचार संहिता' को अपनाया है जो पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों विशेष रूप से महिलाओं तथा बच्चों के लिए गरिमा, सुरक्षा एवं उत्पीड़न से मुक्ति जैसे मूलभूत अधिकारों के लिए सम्मान के साथ पर्यटन कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने संबंधी दिशानिर्देशों का एक समूह है।

(iv) पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक पुलिस की आवश्यकता को समझने और तैयार की गई पर्यटक पुलिस को पर्यटकों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक बनाने के लिए अपने नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थान भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) से एक अध्ययन करवाया था। पर्यटन मंत्रालय ने "फंक्शनिंग ऑफ़ टूरिस्ट पुलिस इन स्टेट/यूनियन टेरिटरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेज" नामक इस अध्ययन रिपोर्ट की प्रति सभी राज्य

सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि वे अपने-अपने राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटक पुलिस की एक पृथक इकाई तैयार करें और उन्हें पर्यटकों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक बनाया जाए।

(घ): वर्ष 2018 से 2020 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	भारत में विदेशी पर्यटक आगमन(मिलियन में)
2018	10.56
2019	10.93
2020	2.74

वर्ष 2017-2019 के दौरान विदेशी नागरिकों (विदेशी पर्यटकों सहित) के प्रति हुए अपराधों के तहत दर्ज हुए मामलों, चार्ज शीट लगाए गए मामलो, अपराध सिद्ध हुए मामलो, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, चार्ज शीट लगाए गए व्यक्तियों और दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के बारे में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से प्राप्त सूचना **अनुबंध-II** में दी गई है।

*****

अनुबंध-I

भारत को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए योजनाओं के संबंध में दिनांक 02.08.2021 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *191 के भाग (ख) के उत्तर में **विवरण**

पर्यटन मंत्रालय 2018-19 से 2020-21 के संदर्भ में ब.अ./स.अ./वास्तविक									
									(करोड़ रु. में)
	2018-19			**2019-20**			**2020-21**		
योजना/शीर्ष (राजस्व)	**ब.अ.**	**स. अ.**	**वास्तविक व्यय**	**ब.अ.**	**स. अ.**	**वास्तविक व्यय**	**ब.अ.**	**स. अ.**	**वास्तविक व्यय**
केंद्रीय क्षेत्र योजना									
स्वदेश दर्शन	1100.00	1100.00	1101.15*	1106.00	566.00	565.93	1200.00	600.00	560.76
प्रशाद	150.00	150.00	150.30*	160.50	145.00	144.71	207.55	125.00	124.79
विदेशी संवर्धन एवं प्रचार की संरचित योजना	454.24	416.23	415.00	446.20	312.39	312.04	450.00	115.00	107.88
आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार	135.00	127.40	127.34	129.50	100.00	99.63	140.00	63.33	33.89
आईएचएम/ एफसीआई /आईआईटीटीएम/ एनसीएचएमसीटी को सहायता	85.00	82.00	82.00	82.89	61.00	56.81	70.00	50.00	50.00
पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता	70.00	71.00	74.00*	91.00	70.00	71.94*	80.00	80.00	68.97
आवासीय अवसंरचना को प्रोत्साहन	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चैमपियन सेवा क्षेत्र योजना	-	-	-	1.00	0.00	0.00	123.00	63.32	46.87
उच्च राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं को सहायता	1.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
गंतव्य और परिपथों के लिए अवसंरचना विकास	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
बौद्ध परिपथ (ईएपी सहित)	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सेवा प्रदाताओं के	30.00	29.86	29.81	38.00	33.00	32.75	60.00	33.00	23.51

लिए क्षमता निर्माण									
बाजार अनुसंधान	4.00	3.30	2.82	5.00	3.61	3.61	9.66	6.39	5.61
पर्यटन भवन का निर्माण	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं									
महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटक गंतव्य	-	-	-	-	-	-	0.00	6.25	6.25
कुल योग (योजना)	2034.27	1984.79	1987.42	2075.12	1291.00	1287.42	2375.21	1147.29	1033.53
गैर – योजना	115.73	128.69	115.11	114.10	125.00	111.79	124.62	112.71	97.60
कुल योग	2150.00	2113.48	2102.53	2189.22	1416.00	1399.21	2499.83	1260.00	1131.13

* वास्तविक व्यय निधियों के पुनर्विनियोजन के बाद अंतिम अनुदान पर आधारित है।

******

अनुबंध -II

भारत को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए योजनाओं के संबंध में दिनांक 02.08.2021 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *191 के भाग (घ) के उत्तर में **विवरण**

2017-2019 के दौरान विदेशी पर्यटकों के साथ हुए अपराधों के तहत अपराध शीर्ष-वार पंजीकृत मामले (सीआर), चार्जशीट किए गए मामले (सीसीएस), अपराधी मामले (सीओएन), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), चार्जशीट किए गए व्यक्ति (पीसीएस) और दोषी व्यक्ति (पीसीवी)

एस एल	अपराध शीर्ष	2017						2018						2019					
		सी आर	सीसी एस	सीओ एन	पीए आर	पीसी एस	पीसी वी	सी आर	सीसी एस	सीओ एन	पीए आर	पीसी एस	पीसी वी	सी आर	सीसी एस	सीओ एन	पीए आर	पीसी एस	पीसी वी
1.1	हत्या	5	5	0	13	12	0	8	6	1	46	45	1	9	6	0	9	8	0
1.2	हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर-इरादतन हत्या	2	3	0	3	3	0	1	0	0	7	0	0	1	1	0	1	1	0
1.3	हत्या का प्रयास/ गैर-इरादतन हत्या	1	1	0	1	1	0	2	2	0	3	3	0	5	5	1	11	11	4
1.4	साधारण चोट	2	1	0	8	1	0	7	4	0	9	6	0	5	5	0	11	7	0
1.5	गंभीर चोट	4	3	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1.6	शीलभंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमला	28	14	3	22	14	3	39	29	0	32	33	0	17	16	1	18	18	1
1.7	अपहरण और	5	0	0	4	0	0	1	2	0	15	15	0	3	2	0	6	4	0

	भगा ले जाना																		
1.8	मानव तस्करी	2	1	0	4	3	0	10	7	0	30	17	0	6	3	0	18	9	0
1.9	बलात्कार	24	17	0	27	24	0	20	15	0	24	18	0	8	12	1	15	18	1
1.10	चोरी	199	36	0	56	45	0	239	49	4	90	59	4	115	17	1	29	31	1
1.11	जबरदस्ती वसूली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0
1.12	लूट-पाट	18	13	0	36	31	0	6	4	0	9	9	0	10	6	0	10	7	0
1.13	डकैती	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	2	1	0	9	5	0
1.14	धोखाधड़ी	12	3	1	10	6	1	19	7	0	12	12	0	28	1	1	6	1	1
1.15	जालसाजी	11	4	0	33	15	0	12	0	0	30	0	0	5	0	0	4	0	0
1.16	महिला की शील का अपमान	1	0	0	2	0	0	3	2	0	2	2	0	1	2	0	1	2	0
1.17	अन्य आईपीसी अपराध	24	63	22	45	42	24	20	18	3	13	18	3	40	29	3	38	36	3
1.18	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम	6	6	0	18	20	0	8	5	0	11	5	0	2	1	0	3	2	0
1.19	अन्य एसएलएल अपराध	2	1	0	3	3	0	16	7	3	15	12	3	11	2	0	18	2	0
1	**विदेशी पर्यटकों के साथ हुए कुल अपराध**	**346**	**171**	**26**	**294**	**229**	**28**	**412**	**158**	**11**	**351**	**257**	**11**	**270**	**111**	**8**	**210**	**166**	**11**
2.1	हत्या	8	5	1	5	5	1	3	2	1	5	3	1	4	4	0	13	13	0

2.2	हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर-इरादतन हत्या	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2.3	हत्या का प्रयास/ गैर-इरादतन हत्या	6	3	0	24	14	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	6	5	0
2.4	साधारण चोट	12	9	2	21	16	5	19	21	13	42	43	15	9	6	0	19	18	0
2.5	गंभीर चोट	2	2	0	6	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2.6	शीलभंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमला	3	3	0	5	3	0	13	10	0	21	19	0	9	9	1	8	9	1
2.7	अपहरण और भगा ले जाना	4	3	1	3	3	1	3	2	0	4	2	0	2	0	0	0	0	0
2.8	मानव तस्करी	0	1	0	4	4	0	2	1	0	3	2	0	5	3	0	6	4	0
2.9	बलात्कार	8	5	1	39	39	1	7	7	0	15	11	0	4	4	0	5	5	0
2.10	चोरी	35	5	0	4	7	0	20	2	1	9	3	1	27	2	0	10	6	0
2.11	जबरदस्ती वसूली	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	लूट-पाट	3	1	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	5	2	0	6	6	0
2.13	डकैती	1	1	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2.14	धोखाधड़ी	7	2	0	2	5	0	8	5	0	12	14	0	13	2	0	8	2	0
2.15	जालसाजी	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0

2.16	महिला की शील का अपमान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.17	अन्य आईपीसी अपराध	26	21	7	40	33	13	7	7	1	17	18	1	14	5	0	11	8	0
2.18	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम	1	1	0	1	1	0	4	4	0	13	13	0	13	8	0	41	27	0
2.19	अन्य एसएलएल अपराध	28	14	9	21	19	9	17	15	4	35	31	6	27	18	4	47	35	11
2	**अन्य विदेशी पर्यटकों के साथ हुए कुल अपराध**	**146**	**77**	**21**	**188**	**168**	**30**	**105**	**78**	**20**	**177**	**161**	**24**	**139**	**68**	**5**	**181**	**139**	**12**
3	**विदेशी पर्यटकों के साथ हुए कुल अपराध**	**492**	**248**	**47**	**482**	**397**	**58**	**517**	**236**	**31**	**528**	**418**	**35**	**409**	**179**	**13**	**391**	**305**	**23**

स्रोत : भारत में अपराध

टिप्पणी : पश्चिम बंगाल से 2019 के लिए समय पर आंकड़े न मिलने के कारण 2018 के आंकड़ों का उपयोग किया गया है

****